प्र०सं० 344/2019 (6)

अनवान सुखदेव कौर बनाम गुरबचन सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/25	पत्रावली पेशी में ली गई। आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर बहस उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। आपत्तिकर्ता नत्थु सिंह का कथन है कि प.न. 93/272(81) कि.न. 18, 19 में आधा-आधा बिस्वा आराजी माननीय न्यायालय द्वारा पारीत आदेश 14.02.1979 द्वारा आपत्ति कर्ता को प्राप्त हुई जो विभाजन प्रस्ताव में प्राप्त नही हुई है इसलिए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्ता वादी ने मौखिक बहस में कथन किया है कि प्रश्नगत कि.न. 18 हस्तगत पत्रावली में संलग्न जमाबंदी में अंकित नही है इसलिए कि.न. 18 में से आधा बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 8 नत्थूसिंह को दिया संभव ही नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव RTA (राजस्व मण्डल) नियम 18 ता 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया है। जिसके अनुसार (i) प्रत्येक काश्तकार को आवंटित किये गये भाग का मूल्य उसी कीमत में होगा [illegible] कि उसका हिस्सा कृषि जोत [illegible] आवंटित भाग कॉम्पैक्ट हो (iii) संभवतः विद्यमान क्षेत्रों को हिस्सों में नही बांटा जायेगा। (iv) जहां तक संभव हो, प्लॉट जो कि आराजी के अलग कब्जे में हो, उनको आराजी को ही आवंटि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:50:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कर दिये जायेंगे जब तक कि उसमें हिस्से से अधिक न हो। अत: प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कि.नं. 19 की हद तक आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव नियमों के अनुरूप होने से, मुताबिक आंशिक संशोधन स्वीकार किया जाता है। वादी को प्राप्त प.नं. 93/272 (81) कि.नं. 19/.253 की जगह 19/.246 प्रदान किया जाता है व शेष रकबा 0.007 हैक्टेयर प.नं. 93/272 (81) 19/0.007 उत्तरी ओर कि.नं. 12 के चिपता प्रतिवादी सं. 8 नत्थूसिंह के हिस्से में आवंटित किया जाता है, इसी अनुसार फर्दी डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:50:43 IST
Reason: SelfAttested